संख्या– 1220 / पॉच–1–11–3(14)04

प्रेषक,

नीता चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 16 मई, 2011

विषयः विभिन्न प्रकार की औषधियों, शल्योपकरणों तथा अन्य उपकरणों एवं साज सज्जा तथा कीटनाशकों / विसंक्रमकों आदि की क्रय–नीति वर्ष 2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नियन्त्रणाधीन विभिन्न श्रेणी की चिकित्सा इकाइयों में उपयोग हेतु औषधियों, उपकरणों, साज–सज्जा तथा कीटनाशकों / विसंक्रमकों आदि के क्रय के लिए प्रचलित नीति तथा एतद्संबंधी समय–समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों में कतिपय संशोधन अपरिहार्य एवं आवश्यक हो गये हैं। इसके दृष्टिगत एतद्संबंधी क्रय–नीति एवं शासनादेशों को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः–

1. औषधि :–

औषधि क्रय के संबंध में प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित की जाती है :–

क्र.	बिन्दु	पूर्व व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
1	जी0एम0पी0 / जी0एल0 पी0 प्रमाण पत्र / डब्ल्यू0एच0 ओ0जी0 एम0पी0 प्रमाण –पत्र	आपूर्तिकर्ता फर्म के पास आवेदन करते समय जी0एम0पी0 प्रमाणपत्र औषधि निर्माण का लाइसेन्स एवं विगत 03 वर्षो में निर्माण एवं आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है।	आपूर्तिकर्ता फर्म के पास आवेदन करते समय जी0एम0पी0 / जी0एल0पी0 प्रमाणपत्र / डब्ल्यू0 एच0 ओ0 जी0एम0पी0 प्रमाण–पत्र औषधि निर्माण का लाइसेन्स एवं विगत 03 वर्षों में निर्माण एवं आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है।
2	उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र	पिछले 02 वर्षो में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा औषधि के उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।	पिछले 03 वर्षो में आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा औषधि के उत्पादन एवं विक्रय का अनुभव प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जो उस राज्य की जहॉ फर्म स्थित है, के ड्रग कंट्रोलिंग अथारिटी से प्रमाणित हो।
3	कुल टर्न–ओवर	आपूर्तिकर्ता फर्म का पिछले 05 वर्षो में कम से कम 02 वर्ष में कुल टर्न ओवर कम से कम रूपये 1.00 करोड हो।	प्रदेश के बाहर की आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्नओवर कम–से–कम रूपये 100 करोड़ तथा प्रदेश की आपूर्तिकर्ता फर्म के लिए विगत 03 वर्षो में प्रत्येक वर्ष में कुल टर्नओवर कम–से–कम रूपये 25 करोड़ हो।